



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक  
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary  
Published by Authority

चैत्र 30, बुधवार, शाके 1933—अप्रैल 20, 2011  
Chaitra 30, Wednesday, Saka 1933—April 20, 2011

भाग 1 (ख)  
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पर्यावरण विभाग  
अधिसूचनाएं

जयपुर, अप्रैल 19, 2011

संख्या प. 27(31) पर्या/78 पार्ट:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) की धारा 4 की उप-धारा-(2स) के अंतर्गत स्थानीय निकाय से संबंधित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

1. श्री रामेश्वर दाधीच, महापौर नगर निगम, जोधपुर
2. डॉ. रत्ना जैन, महापौर नगर निगम, कोटा
3. श्री कमल बाकोलिया, महापौर नगर निगम, अजमेर
4. श्री भवानी शंकर शर्मा, महापौर नगर निगम, बीकानेर
5. श्री केवल चन्द गुलेच्छा अध्यक्ष नगर परिषद, पाली

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जयपुर, अप्रैल 19, 2011

संख्या प. 27(31) पर्या/78 पार्ट :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) की धारा 4 की उप-धारा (2ई) के अंतर्गत बोर्ड/निगम से संबंधित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

1. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर
2. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

जयपुर, अप्रैल 19, 2011

संख्या प. 27(31) पर्या/78 पार्ट :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) की धारा 4 की उप-धारा (2द) के अंतर्गत कृषि/उद्योग/मत्स्य/व्यापार/अन्य क्षेत्र से संबंधित निम्न को तत्काल प्रभाव से राजस्थान राज्य प्रदूषण

नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

1. श्री डी. पी. गोविल (रिटायर्ड आई.एफ.एस.)
2. प्रो. ए.बी. गुप्ता, प्रोफेसर एम.एन.आई.टी., जयपुर

३. श्री दुर्गेश बांगड, कंचन ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, भीलवाडा

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से  
एम.एस. तिवाड़ी,

निदेशक एवं उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।